जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 78वीं बैठक दिनांक 13-12-2004 को सायं 5.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 3 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) एवं एजेण्डा संख्या 4 से 6 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती नलिनी कटोतियां, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती पुष्पा सत्यानी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियेाजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना मानसरोवर के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 315 से 318 व भूखण्ड सं0 289 अन्य खसरे से प्रभावित है अत: इन्हें अनुमोदित नहीं किया जावे। योजना में दर्शित भूखण्ड सं0 304 योजना क्षेत्र से बाहर है अत: इसे योजना में सम्मिलित नही किया जावे तथा 30फिट चौडी सडक क्षेत्र में आने वाले निर्माण को उपायुक्त जोन द्वारा हटवाये जाने की कार्यवाही की जावे जिससे सडक की चौडाई पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके। योजना से गुजरने वाली 60फिट चौडी सैक्टर रोड को 60फिट ही रखा जाकर भूखण्डों से ली जाने वाली भू पट्टी समर्पित करवाई जावे। भूखण्ड सं0 307 व 308 में से 17फिट चौडी भू पट्टी सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित की जावे एवं इस सुविधा क्षेत्र की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नियमन कैम्प लगने से पूर्व करवाया जावे।

एजेण्डा सं0 2 :- श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर प्रथम के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में निर्मित क्षेत्रफल 10.25% ही है एवं सम्पूर्ण योजना क्षेत्र में कोई भी सुविधा क्षेत्र सहकारी समिति द्वारा प्रस्तावित नही किया गया है अत: भूखण्ड सं0 ए-167 से ए-180 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे तथा योजना में सभी आन्तरिक सडके 30फिट रखवाई जाकर सहकारी समिति से संशोधित मानचित्र लिया जाकर प्रकरण भवन मानचित्र समिति(एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत

किया जावे। भवन मानचित्र समिति की 41वी बैठक दिनांक 13-11-2002 में सैक्टर 31 का अनुमोदन करते समय भू उपयोग आवासीय किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसकी विधिवत नियमानुसार नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इस बाबत जोन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 3 :- श्री गण्पति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार-25 के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में निर्मित क्षेत्रफल 10.56% है व योजना में कोई भी सुविधा क्षेत्र सहकारी समिति द्वारा सृजित नहीं किया गया है अतः भूखण्ड सं0 ए-31 से ए-40 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे एवं इन भूखण्डों का समायोजन सहकारी समिति के स्तर पर किया जाकर तथा सभी सडको को न्यूनतम 30' करते हुवे संशोधित मानचित्र लिया जावे। तत्पश्चात् ही प्रकरण भवन मानचित्र समिति(एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। भवन मानचित्र समिति की 41वी बैठक दिनांक 13-11-2002 में सैक्टर 31 का अनुमोदन करते समय भू उपयोग आवासीय किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसकी विधिवत नियमानुसार नोटिफिकेशन जारी नही हुआ है इस बाबत जोन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 4 :- शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना मंगल विहार स्वेज फार्म के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निम्न शर्तो के अनुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

1. योजना के पूर्व व उत्तर की सडकों की चौडाई सेक्टर प्लान के अनुसार 60'-0'' की जावे।
2. योजना में भूखण्ड संख्या 17 से 18 के पश्चिम की ओर लेन की चोडाई 30'-0'' की जावे।
3. योजना में अन्य 30'-0'' से कम चौडी सडकों की चौडाई 30'-0'' की जावे।
4. योजना के उत्तर की ओर की दुकानो की अस्वीकृत किया जावें।
5. भूखण्ड संख्या ई-18 की भूमि सहकारी समिति द्वारा क्रय नही की गयी है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावें।
6. योजना में कुल आवावीय भूखण्ड 46 व व्यवसायिक भूखण्ड 23 अर्थात कुल 69 भूखण्ड है जिनमें से 34 आवासीय व 15 व्यवसायिक भूखण्ड अर्थात 49 भूखण्ड निर्मित है इस प्रकार 71 प्रतिशत निर्मित भूखण्ड है योजना में आवासीय क्षेत्रफल 68.09 प्रतिशत है इसलिए 8.09 प्रतिशत अधिक आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता दी जावे।
7. स्वेज फार्म की अवाप्त भूमि के संबंध में राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित राशी ली जावे।

एजेण्डा सं0 5 :- दी शिवा गृ.नि.स.स. समिति की योजना चित्रगुप्त नगर द्वितीय के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिए गये।

1. भूखण्ड 8 ए से 17 तक के भूखण्ड रेल्वे सीमा में खुल रहे है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

2. योजना में भूखण्ड संख्या 1, 2, 4, 5, 11 से 14 का कुछ भाग रेल्वे की भूमि का है। इसलिए रेल्वे की भूमि में स्थित क्षेत्र से इन भूखण्डों का क्षेत्रफल जितना रेल्वे की भूमि है उतना कम किया जावे।

3. योजना के अन्दर की सडक की चौडाई कम से कम 30'-0'' की जावें।

4. योजना के उत्तर की ओर की सडक सेक्टर प्लान के अनुसार 60'-0'' की जावें।

5. योजना में भूखण्ड संख्या 10 में सैटबैक छोडने के पश्चात आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नही होता है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावें।

6. भूखण्ड संख्या 5 का आवासीय उपयोग होने पर ही नियमन किया जावे।

7. योजना मे आवासीय क्षेत्रफल 81.18 प्रतिशत है इसलिए अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

एजेण्डा सं0 6 :- पटेल नगर गृ.नि.स.स. की योजना गोबिन्द वाटिका, गोपालपुरा बाईपास के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिए गये।

1. खसरा बाउन्ड्री से बाहर के भूखण्ड संख्या 16ए, 12ए, 11बी, 11सी, 11ए आंशिक भूखण्ड संख्या 10 , 12 अस्वीकृत किया जावे।

2. भूखण्ड संख्या 15 व 18 के मध्य की सडक की चोडाई 30'-0'' की जावे।

3. योजना में कुल 30 भूखण्ड है जिनमें से 21 भूखण्ड निर्मित है इस प्रकार 70 प्रतिशत निर्मित भूखण्ड है। योजना में आवासीय क्षेत्रफल 72.44 प्रतिशत है। इसलिए स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जावे।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-174
दिनांक :- 24/12/2004

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।